

उत्तर प्रदेश सरकार  
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2  
संख्या-क0नि0-2-1533/ग्यारह-9(2)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(23)-2008  
दिनांक:: 30 मई, 2008

**अधिसूचना**

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है;

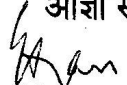
अतएव, अब, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2008) की धारा 74 के साथ पठित धारा 6 की उपधारा(1) के प्रथम परन्तुक और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके एवं, सरकारी अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-251/ग्यारह-9(2)/08-उ0प्र0अध्या0-37-2008-आदेश-(5)-2008 दिनांक 04 फरवरी, 2008 का अधिक्रमण करके राज्यपाल घोषणा करते हैं कि दिनांक 01 अप्रैल, 2008 से ऐसा व्यापारी, जो प्रान्त के अन्दर से खरीदे गये माल के प्रान्त के अन्दर पुनर्विक्रय का ही कारबार करता है और जिसका किसी कर निर्धारण वर्ष हेतु माल के विक्रय का आवर्त न तो ₹0 50 लाख से अधिक होने की सम्भावना है और न ही ऐसा आवर्त ऐसे कर निर्धारण वर्ष के पूर्ववर्ती कर निर्धारण वर्ष में ₹0 50 लाख से अधिक था, निम्न शर्तों के अधीन सन् 2008 के उक्त अधिनियम की अनुसूची दो, तीन व पाँच में उल्लिखित माल के विक्रय पर संदेय कर के स्थान पर आधा प्रतिशत की दर से समाधान धनराशि के भुगतान का विकल्प ले सकता है:-

1. ₹0 50 लाख के आवर्त के आगणन के प्रयोजन हेतु सन् 2008 के उक्त अधिनियम के अनुसूची-एक से पाँच में उल्लिखित माल के विक्रय आवर्त पर विचार किया जायेगा;
2. ऐसा व्यापारी सन् 2008 के उक्त अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने का हकदार नहीं होगा;
3. ऐसा व्यापारी टैक्स बीजक जारी नहीं करेगा तथा माल के क्रेता से कर के रूप में अथवा उसे अन्य कोई नाम व स्वरूप देकर कोई धनराशि वसूल नहीं करेगा;
4. ऐसे व्यापारी से माल क्रय करने वाला व्यापारी, खरीदे गये माल के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने का हकदार नहीं होगा;
5. ऐसा व्यापारी पूर्ण रूप से भरे फार्म चौबीस(अ) में, उसके अनुलग्नक-ए व बी के साथ त्रैमासिक विवरणी, देय समाधान धनराशि के चालान सहित, जमा करेगा;

5. ऐसा व्यापारी कर निर्धारण वर्ष 2008-2009 हेतु, इस अधिसूचना के दिनांक के 30 दिन के अन्दर तथा किसी अन्य कर निर्धारण वर्ष हेतु 30 अप्रैल तक, जैसी स्थिति हो, जिसके लिये व्यापारी इस सुविधा का विकल्प लेने का इच्छुक हो, कर निर्धारण अधिकारी को कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रार्थना-पत्र, जो उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 के नियम 32 के उपनियम(6) में उल्लिखित व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगा, प्रस्तुत करेगा। एक बार दिया गया प्रार्थना-पत्र अपरिवर्तनीय होगा और ऐसे प्रार्थना-पत्र को देने वाला व्यापारी इसे वापस लेने का हकदार नहीं होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे मामलों में, जहां कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश का यह समाधान हो जाय कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण व्यापारी ऊपर दिये गये समयावधि में प्रार्थना-पत्र दाखिल नहीं कर सका, वहां वह ऐसे व्यापारी को उपर्युक्त समयावधि के पश्चात 30 दिन के अन्दर, ऐसा प्रार्थना-पत्र दाखिल करने की अनुमति दे सकता है;

- 7- यदि उपरोक्त विनिर्दिष्ट प्रार्थना-पत्र में प्रदत्त कोई तथ्य अथवा सूचना मिथ्या, गलत व फर्जी पायी जाती है तो कर निर्धारण प्राधिकारी, व्यापारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात, प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार कर सकता है।

आज्ञा से,  
  
 (गोविन्दन नायर)  
 प्रमुख सचिव